फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
जयनारायण **बनाम** उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम व अन्य
प्रकरण संख्या : 38 / 2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
21.05.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड़ अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी श्री राजेश जाखड़, आर०ए०एस० का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने उपखण्ड़ अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 135 / 1997 ब– उनवानी घासी बनाम घासी व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री राजेश जाखड, आर०ए०एस० से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड़ अधिकारी, जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी श्री राजेश जाखड, आर०ए०एस० का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है, फलस्वरूप प्रार्थी का मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (संदेश नायक) जिला कलक्टर जयपुर	